

प्रेषक,
दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग: देहरादून : दिनांक: २१ सितम्बर, 2017

विषय:- हरिद्वार बाईपास रोड़, रिस्पना पुल, देहरादून में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह के लिये अवशेष धनराशि ₹169.40 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1254/सं0नि0उ0/दो-(प्र0दे0)/2017-18 दिनांक 18 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिद्वार बाईपास रोड़ (निकट रिस्पना पुल), देहरादून में निर्माणाधीन आडिटोरियम भवन के पुनरीक्षित विस्तृत आगणन की धनराशि ₹203.48 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में ₹29.33 लाख (उन्तीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 को अवमुक्त की गयी थी, जिसकी द्वितीय किस्त ₹169.40 (एक करोड़ उनसठ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है:-

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) मितव्ययी मदों में व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

- (iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 3- कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कर हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, लागत पुनरीक्षित किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। उक्त कार्य के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय।
- 4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं०-474/XXVII(7)/2008 दिनांक-15-12-08 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित करते हुए समयसारिणी का निर्धारण किया जायेगा तथा तदनुसार कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा।
- 5- कार्य का संपादन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों/मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। करते प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 6- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- 7- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 8- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- 9- आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- 10- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- 11- व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

12- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

13- धनराशि का आहरण कार्य की भौतिक प्रगति के स्थलीय सत्यापन के उपरान्त प्रगति संतोषजनक होने पर किया जायेगा।

14- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-106-संग्रहालय-06-प्रेक्षागृह का निर्माण-00-24-वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

15- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनदेश दिनांक-30 जून, 2017 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(दिलीप जावलकर)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या 551/VI/2017-02(5)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी देहरादून।
- 3- वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- 5- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून।
- 6- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एस0भाकुनी)
उपसचिव